(A High Impact Factor, Quarterly, Peer Reviewed, Referred & Indexed Journal)

NAVJYOT / Vol. XIV / Issue – IV ISSN 2277-8063

# युद्ध एवं मानव अधिकार

**प्रा. डॉ. उल्का शशिकांत फराकटे** राजनीतीशास्त्र विभाग, शिवाजी विश्वविद्यापीठ कोल्हापूर.

पिन नं. ४१६००४ महाराष्ट्र. मो. नं. ९३५९८२५९४१

---

## प्रास्ताविक

मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को उपभोग व संरक्षण करने का हक हैं | ऐसे अधिकारों की पृष्ठभूमि में वे बुनियादी सिद्धांत हें, जो सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों में पुरुष, स्त्री और बच्चों के प्रति सम्मान देने से सम्बंध राखते हैं |

विश्व में प्रथम और द्वितीय महायुद्ध काल दौरान मानव हानी और वित्त हानी हो गई | द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी की नृशंसता और मानव अधिकारों कें उल्लंघन से मानव जाति कि अन्तरात्मा को बहुत भारी धक्का लगा जिससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकार से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित किया गया | इसका अनुभव किया गया कि मानव अधिकारों को युद्धों के दौरान भी लागू किया जाना चाहिऐ | इस कारण १२ अगस्त, १९४९ को चार जिनेवा समझोते को अंगीकृत किया गया |

संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने युद्ध का विधि-बहिष्कृत कर दिया है और बल प्रयोग भी निषेध कर दिया है फिर भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंगीकृत किए जाने के बाद भी विश्व में युद्ध घटनाएँ होती रही हैं | जेसें कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, और अभी २४ फरवरी २०२२ से रशिया और युक्रेन युद्ध चल रहा हैं | रशिया और युक्रेन युद्ध से इन दोनो राष्ट्र के नागरिकों का मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने रशिया और युक्रेन युद्ध के बारेमें अपना यह मत स्पष्ट किया कि, युक्रेन पर रशियाने आक्रमण कर के अन्तरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया है, इससे मानव कल्याण और मानव अधिकारों के लिए विनाश उपजा है |

सर राधा विनोद पाल ने टोयिाके विचारण के मामले में कहा है, युद्ध जैसा कि विधि का विषय नहीं है फिर भी इसके विषय में विधि के नियमों को प्रतिपादित किया गया है जिससे कि मानवता कि रक्षा कि जा सके | संयुक्त राष्ट्र कि स्थापना के बाद मानव अधिकार अन्तरराष्ट्रीय विधि का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर आया है |

संयुक्त राष्ट्र का पक्षकार राज्य किसी राज्य के राज्यक्षेत्र, अखंडता या राजनैतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध युद्ध करता है जो कि संयुक्त राष्ट्र के उद्दश्यों से असंगत है तथा चार्टर के कलम २ (४) का अतिक्रमण है तो ऐसी स्थिती में उस राज्य के पास जिसके विरुद्ध सशस्त्र हमला हुआ है यही चारा है कि वह आत्म-रक्षा के लिए व्यक्तिगत या सामुहिक प्रयास करे जैसा कि चार्टर के कलम ५१ में उपबंध किया गया है और इस प्रकार उसे युद्ध ही करना पडेगा | इसके अतिरिक्त शान्ति को खतरा, शान्ति भंग और आक्रमण के कार्यों में सुरक्षा परिषद चार्टर के अध्याय के ४ अधीन संयुक्त कारवाई कर सकती हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसका अनुभव किया गया कि मानव अधिकारों को युद्धों के दौरान भी लागू किया जाना चाहिए | इस कारण १२ अगस्त, १९४९ को चार जिनेवा अभिसमयों को अंगीकृत किया गया जो अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि का प्रतिपादन करती हैं |

## अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि कि परिभाषा

अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि कि परिभाषा युद्ध कि मानव अधिकार संघटक विधि के रूप में कि जाती है | दुसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि मानव अधिकार विधि कि वह शाखा है जो मानव को युद्ध के परिणामों से संरक्षण करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय और आंतरिक सशस्त्र संघर्ष के बारे में लागू होती है |

बोस्को जैकोवजेविन के अनुसार, “अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि, अन्तरराष्ट्रीय विधि कि एक शाखा है जो सशस्त्र संघर्ष के पीडीत व्यक्तियों के लिए संरक्षण कि कार्यवाही करती है |”

हैक्टर ग्रास एसपियेल के अनुसार, “अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि से तात्पर्य अन्तरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत नियमों और सिद्धान्तों का समूह जो सशस्त्र संघर्ष, दोनों अन्तरराष्ट्रीय और आंतरिक में व्यक्तियों के संरक्षण सम्बन्धी मामलों को नियमित करता है |”

इस प्रकार बोस्को जैकोवजेविन और हैक्टर ग्रास एसपियेल दोनोने अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि कि महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ कि है |

अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि के प्रधान स्त्रोत १९४९ के चारों अभिसमय और इनसे सम्बन्धी १९७७ के दो अतिरिक्त प्रोटोकॉल हैं, जौ निम्नलिखित हैं –

1. युध्बंदियों के प्रति व्यवहार से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन;
2. युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायल और रोगी सदस्यों कि दशा सुधारने के लिए १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन;
3. समुद्र पर सशस्त्र बलों के घायल, रोगी और ध्वस्त पोत सदस्यों कि दशा सुधारने के लिए १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन;
4. युद्ध के समय में सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन |

इन कन्वेंशनों से सम्बन्धित १९७७ के दो अतिरिक्त प्रोटोकॉल इस प्रकार है-

1. प्रोटोकॉल एक - अन्तरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष से पीडीत व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन का अतिरिक्त प्रोटोकॉल और,
2. प्रोटोकॉल दो – आन्तरिक सशस्त्र संघर्ष से पीडीत व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन का अतिरिक्त प्रोटोकॉल |

अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि के प्रधान स्त्रोत १९४९ के चारों अभिसमय और इनसे सम्बन्धी १९७७ के दो अतिरिक्त प्रोटोकॉल का विश्लेषण निम्नलिखित हैं –

**युध्बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार**

युद्धबंदी वह प्रास्थिती है जो युद्ध के दोरान सशस्त्र संघर्ष में युद्धमान राज्य द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान कि जाती हैं |

युद्धबन्दियों के प्रति व्यवहार के संबंध में हेग अभिसमय १९०७ में उपबंध किए गए | तदुपरान्त जिनेवा अभिसमय, १९२९ में युद्धबन्दियों के प्रति व्यवहार के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए | उपरोक्त दोनों संधियो का स्थान युद्धबन्दियों के प्रति व्यवहार से संबंधित १२ अगस्त १९४९ के जिनेवा कन्वेंशन ने लिया है | इस १९४९ के अभिसमय में १४३ कलम है और इसे ६ भागों में विभाजित किया गया है | इस अभिसमय में युद्धबन्दियों के प्रति व्यवहार के लिए निम्नलिखित नियम अधिकथित किए गए हैं–

1. युद्धबन्दियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए
2. सभी परिस्थितीयों में युद्धबन्दियों को अपने पद के साथ आदर का अधिकार है, शत्रू युद्धबन्दियों के साथ आदर का व्यवहार किया जाना चाहिए
3. युद्धबन्दियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ राष्ट्र, धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाना; परन्तु स्वास्थ्य, आयु तथा उनके पेशे कि योग्यता के अनुसार कुछ विभेद किया जा सकता है

4. युद्धबन्दियों के पास सदैव उनके पहचान-पत्र होने चाहिए, जिन युद्धबन्दियों के पास पहचान-पत्र न हो, उन्हें वह देश, जहाँ वह युद्धबंदी है, ऐसा पहचान-पत्र प्रदान करेगा

5. युद्धबन्दियों को रखने वाले देश कि यह जिम्मेदारी है कि वह उन्हें नि:शुल्क भोजन, चिकित्सा आदि कि सुविधाएँ प्रदान करे |

ये नियम युद्धबन्दियों का हित ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं जिससे उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए| अन्तरराष्ट्रीय विधि का यह सामान्य नियम बन गया है कि युद्धबन्दियों के साथ सदैव मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए परन्तु का यह कर्तव्य है कि जब कभी उनसे पुछताछ कि जाए तो वे अपना नाम, पद, जन्म-तिथि अपना रेजिमेंट आदि बता दें यदि वे इस प्रकार कि सूचना नही देते है तो उन्हें पद के अनुसार सुविधाएँ नही दी जा सकतीं |

**सशस्त्र बलों के घायल और रोगी सदस्यों के साथ व्यवहार**

मानवता के आधार पर घायल सैनिकों के साथ सामान्य सैनिकों कि तरह व्यवहार नही किया जाता है, उनके साथ विशेष व्यवहार कि व्यवस्था है | सर्व प्रथम घायल सैनिकों से संबधीत नियमों को १८८४ में युद्धक्षेत्र में घायल सैनिकों कि दशा में सुधार के लिए अभिसमय द्वारा निर्मित किया गया, आगे चलकर इन नियमों को १९०६ के नए जेनेवा अभिसमय द्वारा पुनरीक्षित किया गया | परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन नियमों का उल्लघंन किया गया | १९०६ के अभिसमय को अनुपुरित करने कि अपेक्षा हुई | जेनेवा में १९२९ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें युद्धक्षेत्र में सेनाओं के घायल तथा रोगी कि दशा को सुधारने के लिए एक अभिसमय का अनुभव होने लगा इसके परिणाम स्वरूप युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बलों के घायल और रोगी कि दशा को सुधारने के लिए १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन स्वीकृत किया| अभिसमय उन घायल तथा रोगी व्यक्तीयों के लिए सम्मान तथा उनके संरक्षण और देखभाल के बारे में व्यापक विनियमन करता है, जो युद्धक्षेत्र में सशस्त्र बल के सदस्य हैं या अभिसमय के उपबंधो में उन्हें सामील किया जाता है| इस अभिसमय के प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं–

1. सशस्त्र बलों के घायल और रोगी व्यक्तियों का उस युद्धतर देश द्वारा सम्मान, संरक्षण तथा देखभाल किया जाना चाहिए जिसकी शक्ति में वे हों ऐसा व्यवहार किसी विभेद के बिना किया जाएगा| उनके जीवन को समाप्त करने का कोई प्रयास या उनके शरीर के प्रति कोई हिंसा प्रतिषिद्ध है|

2. रोगी तथा घायल व्यक्तीयों को सुविधा प्रदान करने के लिए चल चिकित्सीय इकाइयों या स्थिर चिकित्सीय सेवा संस्थापनों का सम्मान तथा संरक्षण युद्धतर देश द्वारा किया जाना चाहिए |

3. रोगी तथा घायल व्यक्तीयों को सुविधा प्रदान करने में संलग्न व्यक्तीयों जेसें डॉक्टरों तथा चल चिकित्सीय इकाइयों और स्थिर संस्थापनों में सेवारत अन्य कर्मचारियों कि सुरक्षा कि जाएगी तथा आदर किया जाएगा|

4. रोगी तथा घायल व्यक्तीयों के यातायात के लिए संलग्न यातायात के साधनों कि सुरक्षा कि जानी चाहिए तथा उनका सम्मान किया जाना चाहिए |

5. प्रत्येक युद्ध-संघर्ष के बाद मृत व्यक्तीयों कि खोज करके उनकी अन्त्येष्टक्रिया सम्मानपूर्वक कि जानी चाहिए |

अन्तरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष से पीडीत व्यक्तीयों के संरक्षण से संबधीत १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के कलम १० में उपबंध किया गया है कि सभी घायलों, रोगियों तथा क्षतिग्रस्त जलयान के व्यक्तियों कि सुरखा कि जाएगी तथा उनका सम्मान किया जाएगा| उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा तथा उन पर उनकी दशा से अपेक्षितपूर्ण चिकित्सीय देखरेख तथा ध्यान दिया जाएगा |

**समुद्र पर सशस्त्र बलों के घायल, रोगी तथा क्षतिग्रस्त जलयान के सदस्यों के साथ व्यवहार**

समुद्र पर सशस्त्र बलों के घायल, रोगी और ध्वस्त पोत सदस्यों कि दशा सुधारने के लिए १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन स्वीकार किया गया है | इस जिनेवा कन्वेंशन के उपबंध वैसे ही है जैसे सशस्त्र बलों के घायल और रोगी सदस्यों कि दशा सुधारने के लिए १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन के है |

**युद्ध के समय में सिविलियन व्यक्तियों से व्यवहार**

सिविलियन व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा, पाशविकता तथा भय कि लम्बी श्रृंखला ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को युद्ध के समय सिविलियन जनसंख्या कि सुरक्षा के विषय में उपबंध बनाने के लिए प्रेरित किया | इसके परिणाम स्वरूप युद्ध के समय में सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन अंगीकृत किया गया | यह अभिसमय इस धारणा पर आधारित है कि संघर्ष के समय भी सिद्धान्त रूप में स्वीकृत कि गई मानव गरिमा का संरक्षण किया जाना चाहिए | इस अभिसमय के प्रमुख बिन्दू निम्नलिखित प्रकार के है-

1. युद्धरत देशों के राज्यक्षेत्र में अन्यदेशीय शत्रुओं के साथ व्यवहार;
2. रोगी और घायलों का संरक्षण;
3. नजरबन्दियों के साथ व्यवहार;
4. अधिगृहीत राज्यक्षेत्र में सिविलियन जनसंख्या से व्यवहार

**अन्तरराष्ट्रीय और आन्तरिक सशस्त्र संघर्ष से पीडीत व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन का अतिरिक्त प्रोटोकॉल**, प्रोटोकॉल एक और दो के प्रमुख उपबंध निम्नलिखित है-

सभी घायल, रोगी और ध्वस्त पोत के सभी सदस्यों का आदर तथा संरक्षण किया जाएगा | सभी परिस्थितियों में उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा एवं उनकी दशा के अपेक्षानुसार बिना विलंब के उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाएगा |

जो व्यक्ती विपक्षी कि शक्ति में आ जाता हैं या अन्यथा उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, उन्हें किसी गैर-न्यायोचित कृत्य या प्रतिविरति से खतरा नहीं पहुँचाया जाएगा | इस संबंध में विशिष्ट रूप से १. शारीरिक विकृति या अंग-भंग करना; २. चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोग; और ३. रोगी कि दशा के लिए आवश्यक होने के सिवाय किसी अंग को निकालना आदि निषिद्ध है |

चिकित्सक इकाइयों का सम्मान किया जाएगा तथा सभी समय उनका संरक्षण किया जाएगा और उन्हें आक्रमण का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा |

प्रोटोकॉल एक अन्तरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष से पीडीत व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित और प्रोटोकॉल दो – आन्तरिक सशस्त्र संघर्ष से पीडीत व्यक्तियों के संरक्षण से सम्बन्धित १२ अगस्त १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन का अतिरिक्त प्रोटोकॉल, इन प्रोटोकॉल द्वारा जिनेवा अभिसमय में कतिपय अन्य महत्वपूर्ण नियम जोडे गए है, इन नियमों से प्रमुख निम्नलिखित है-

1. सिविल जनता तथा प्राइवेट नागरिकों को सैनिकी कारवाई से होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान कि जाएगी

A. सिविल जनता तथा प्राइवेट नागरिक आक्रमण का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा, ऐसे कृत्य जिसका उदेश्य सिविल जनता को भयाक्रांत करना है, प्रतिषिद्ध है|

B. प्रोटोकॉल द्वारा प्रदत्त सुरक्षाएँ नागरिकों को तब तक मिलेंगी जब तब वे संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते है|

C. सोचे-समझे बिना या किसी उदेश्य के बिना आक्रमण प्रतिषिद्ध है|

2. जँहा तक नागरिक लक्ष्यों कि सामान्य सुरक्षा कि बात है, प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्हें आक्रमण या बलपूर्वक प्रतिकार का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा, नागरिक लक्ष्य यह है जो सैनिक लक्ष्यों कि परिभाषा के अंतगर्त नही आता है |

3. सैनिक कार्यवाई के संचालन में निरन्तर यह सावधानी बरती जाएगी कि सिविल जनता, प्राइवेट नागरिक तथा नागरिक लक्ष्य से बचे रहें |

4. युद्ध के ढंग के रूप में नागरिकों को भुखा मारना प्रतिषिद्ध है|

5. नागरिक सुरक्षा के बारे में प्रोटोकॉल में उपबंध है कि, नागरिक सुरक्षा संस्थाएँ तथा उनके अधिकारी आदि का सम्मान किया जाएगा तथा प्रोटोकॉल के उपबंधों के अधीन उनकी सुरक्षा कि जाएगी, कई कार्यों को किसी स्थान पर किसी समय करते समय करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है चाहे ऐसा कार्य सिविलयन द्वारा या सैनिक द्वारा किया जाए | ये कार्य हैं- व्यक्ती के जीवन, स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक कल्याण के प्रति हिंसा, सभी प्रकार का उत्पीडन, शारीरिक और अंग छेद |

इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि मानव अधिकारों के आधार पर प्रतिपादित कि गई हैं | इसमें मानव अधिकारों को युद्ध में लागू करने कि परिकल्पना कि गई हैं | मानव अधिकार विश्व शान्ति के समय अस्मिता में बने ही रहेंगे लेकिन युद्ध के समय भी वे अस्मिताहीन नहीं हो जाएंगे क्योंकी वे नैतिक सत्य के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं | १९४९ का जिनेवा कन्वेंशन और अन्य सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधियों से सम्बन्धी दस्तावेज के अनुसार युद्ध से त्रस्त व्यक्ती का मानवीय संगठनों से सामायिक सहायता और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं |

**संदर्भ**

1. International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war (Third Geneva Convention)*. Geneva, Switzerland: ICRC.

2. International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war (Fourth Geneva Convention)*. Geneva, Switzerland: ICRC.

3. International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)*. Geneva, Switzerland: ICRC.

4. International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts (Protocol II)*. Geneva, Switzerland: ICRC.

5. United Nations. (1945). *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Francisco: United Nations. (कलम २(४) आणि कलम ५१ च्या संदर्भासाठी).

6. Guterres, A. (2022, February 24). *Statement by the Secretary-General on the situation in Ukraine*. United Nations. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-02-24/statement-the-secretary-general-the-situation-ukraine

7. Pal, R. (1953). *International Military Tribunal for the Far East: Dissentient judgment of Justice Pal*. Sanyal & Co.

8. Pictet, J. S. (Ed.). (1952). *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary*. International Committee of the Red Cross.

9. Sassoli, M., & Bouvier, A. A. (2006). *How does law protect in war?* (2nd ed.). International Committee of the Red Cross.